प्रार्थना पत्र संख्या :– 214/2021 सुनीता कंवर बनाम तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी वगैराह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार-I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **214/2021** GCMS 2021/275

प्रार्थिया:–

1. सुनीता कंवर पत्नी स्व. श्री छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी परेवड़ी तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी
2. पटवारी हल्का अड़कसर तहसील कुचामन सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री भवानी सिंह चावण्डिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
राज. पैरोकार कुचामन सिटी।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 20/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम परेवड़ी पटवार हल्का परेवडी तहसील कुचामन सिटी के नये खाता सं. 243 के खसरा नंबर 561, 568, 578, 842/569 कुल खसरा 5 रकबा 18.63 है. में खातेदार का नाम सुरजीत कंवर पत्नी छीतरसिंह जाति राजपूत एवं नाबालिग विष्णुसिंह पुत्र छीतरसिंह सरंक्षक वली माता सुरजीत कंवर पत्नी छीतरसिंह अंकित है। प्रार्थिया का नाम सुरजीत कंवर घर का पुकारा जाता था। प्रार्थिया का नाम सुनिता कंवर है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थिया का नाम सुरजीत कंवर के स्थान पर संशोधन कर सुनीता कंवर अंकित करवाने बाबत् पेश है। प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड में सुनीता कंवर पत्नी छीतरसिंह नाम अंकित है जिसकी छायाप्रति पेश है। प्रार्थिया के राशन कार्ड में नांम सुनीता कंवर पत्नी छीतरसिंह अंकित है व वोटरकार्ड/पहचान पत्र में नाम सुनीता कंवर है जिसकी छायाप्रति पेश है। प्रार्थिया की खातेदारीशुदा कृषि भूमि की खतौनी में मेरा नाम सुरजीत कंवर पत्नी छीतरसिंह जाति राजपूत एवं नाबालिग विष्णुसिंह पुत्र छीतरसिंह संरक्षक वली माता सुरजीत कंवर पत्नी छीतरसिंह अंकित है, जिसमें सुरजीत कंवर के नाम का संशोधन कर सुनीता कंवर पत्नी छीतरसिंह जाति राजपूत खातेदारी में अंकित करवाने बाबत् अप्रार्थी सं. 1 व 2 को आदेश प्रदान करवाने की इ[illegible] दी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 2 के नोटिस तामिल होकर प्राप्त। आवाजें लगाई गई। अनुपस्थित है। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र संख्या :— 214 / 2021 सुनीता कंवर बनाम तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी वगैराह

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 214 / 2021 अनुवान सुनिता कंवर बनाम सरकार में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश की पालना में सुरजीत कंवर के स्थान पर शुद्ध कर सुनिता कंवर किया जा चुका है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी नकल नामान्तरण की फोटो प्रति व माननीय न्यायालय की फोटो पेश किया गया।

तहसीलदार कुचामन सिटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नाम संशोधन किया जा चुका है। जो नकल जमाबंदी के अवलोकन से भी स्पष्ट है।

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र आगे चलाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:43:39 IST
Reason: SelfAttested